/

पत्रांक : 1988 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 15 जून–2015 जुलाई

प्रार्थना पत्र संख्या – 01/06.04.2015

द्वारा – सर्वश्री दून एन्टरप्राईसेज़, शॉप नं0–3, II फ्लोर, उत्तरांचल कॉम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून।

उपस्थिति – श्री श्रीप्रकाश नौटियाल, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक – जुलाई 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दून एन्टरप्राईसेज़, शॉप नं0–3, II फ्लोर, उत्तरांचल कॉम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में निम्न वस्तुओं पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है :–

1. Cotton Razai with Gold Print
2. Jaipuri Silk Razai with Gold Print
3. Kota Doria Sarees (GK; 7K1)
4. Set of 7 Art Silk Sarees (7A1)

व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि Cotton Razai with Gold Print एवं Jaipuri Silk Razai with Gold Print उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं, अतः इन पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है। Kota Doria Sarees (GK; 7K1) के विषय में उनके द्वारा बताया गया है कि यह एक साड़ी की किस्म है जिसे पिटलूम पर निर्मित किया जाता है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा–14 में कपड़ों की कुछ किस्में जिनके एक्साईज़ कोड का उल्लेख किया गया है, पर 5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है एवं शेष कपड़ों पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है। बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित Set of 7 Art Silk Sarees (7A1) के विषय में यह अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–II(ख) की प्रविष्टि संख्या–101 निम्न प्रकार है :–

> ''रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशम सम्मिलित नहीं है जब तक अतिरिक्त एक्साईज ड्यूटी से आच्छादित न हो''

इस प्रकार केवल हैण्डलूम से निर्मित सिल्क फैब्रिक ही करमुक्त है, शेष सिल्क फैब्रिक पर 5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है।

प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु श्री श्रीप्रकाश नौटियाल, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं प्रश्नगत वस्तुओं पर करदेयता स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया गया।

धारा–57 के प्रार्थनापत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I की प्रविष्टि संख्या–29 निम्न प्रकार है :–

29. ''हथकरघे पर निर्मित सभी प्रकार के कपड़े चाहे सादे छपे हुए, रंगे हुए या कढ़े हुए हों जिसके अन्तर्गत हथकरघे से बनी धोती, साड़ी, बेड–शीट, बेड–कवर्स, चद्दरें, मेज पोश, तकिए के गिलाफ, शॉल, लोई, लिहाफ, झोला, संजाफ और झालरदार तौलिए, ओढ़नी और डुग्गा और हथकरघे पर निर्मित ऊनी कम्बल और नमदे सम्मिलित है और गांधी टोपी''

"Handloom fabrics of all kinds, whether plain, printed, dyed or embroidered, including dhotis, sarees, bedsheets, bed covers, chhaddars, table cloth, pillow covers, handkerchieves, scarfs, napkins, dusters, lois, lihafs, jholas, hemmed and fringed towels, orhanis and duggas made out of handloom cloth or woolen blankets and rugs manufactured on handloom & Gandhi topi"

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–II(ख) की प्रविष्टि संख्या–17 एवं 101 इस प्रकार है :–

17. ''बिछावन की चादर, तकिए के गिलाफ और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएं''

"Bed sheet, pillow cover and other made-ups"

101. ''रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशम सम्मिलित नहीं है जब तक अतिरिक्त एक्साईज ड्यूटी से आच्छादित न हो''

"Silk fabrics excluding handloom silk unless covered by Additional Excise Duty"

उत्तराखण्ड् मूल्यवर्धित कर अधिनियम अनुसूची–II(क) के प्रविष्टि संख्या–5 निम्न प्रकार है :–

5. ''सभी प्रकार का कपड़ा, जो मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूचियों में अन्यत्र परिभाषित नहीं है।''

"All kind of Textiles other than those notified elsewhere under the Schedules of the VAT Act."

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत रजाई किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः Cotton Razai with Gold Print एवं Jaipuri Silk Razai with Gold Print 13.5 प्रतिशत की दर से कराधेय है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत घोषित माल के रूप में सूती एवं मानव निर्मित कपड़ों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम–1985 की अनुसूची के मद संख्यांक का उल्लेख किया गया है जिन पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय है। मूल्यवर्धित कर

अधिनियम की अनुसूची–II(ख) की प्रविष्टि संख्या–40 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम–1956 की धारा–14 में भी विनिर्दिष्ट घोषित माल पर 5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की गई है। अतः यदि व्यापारी द्वारा बिक्री की जा रही Kota Doria Sarees (GK; 7K1) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा–14 में सूती कपड़ा या मानव निर्मित कपड़ा की श्रेणी में आती है, तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर देयता होगी अन्यथा यह अनुसूची–II(क) की प्रविष्टि संख्या–5 से आच्छादित होगी, जो वर्तमान में स्थगित है। हथकरघे से बनी साड़ी होने की दशा में उक्त वस्तु अनुसूची–I की प्रविष्टि संख्या–29 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त होगी।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–II(ख) की प्रविष्टि संख्या–101 से आच्छादित होने के कारण Set of 7 Art Silk Sarees (7A1) 5 प्रतिशत की दर से कराधेय है।

तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाँऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
8– असि0कमि0 वाणिज्य कर, खण्ड–8, वाणिज्य कर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर, Web-Information Officer को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड